



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highways Authority of India



(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, (विंग-सी, ८वां तल्ला), सीबीडी/१,
जेएल-२३, एक्शन एरिया - II, न्यू टाउन, कोलकाता - ७०० १५६

Regional Office - Kolkata, Synthesis Business Park, (Wing-C, 8th Floor),
CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

टेल / Tel : (033) 2324 8081 (EPABX) ईमेल / e-mail : rokolkatta@nhai.org, rokolnhai@gmail.com वेब / Web : www.nhai.gov.in

संदर्भ / Ref. no. NHA/RO-KOL/001/2025/10/37/ 586

दिनांक / Date 02.06.25
05.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण / INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

विषय: पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३४ के कि०मी० १९१.४१६ से कि०मी० २९४.६८४ (बरहमपुर फरक्का खंड) तक एनएचडीपी चरण ५ के आधार पर चार लेन चौड़ीकरण:- एन०एच-१२ के मुर्षिदाबाद जिले में अमीराबाद -बैद्यबाटी -चानक -बिछुटी -जरुलिया -गोपजान -अंधर्मिक -देवीदासपुर -मेहदीपुर-बिलबाड़ी के समानान्तर सड़क के दोनों ओर प्रस्तावित (९० मिमी से २२५ मिमी व्यास) में बांयी ओर चैनेज २०२+३५० to २०४+५३०/ २१०+७७५ to २१२+०८०/ २१२+७७५ to २१२+८८१/ २१३+९६० to २१४+६२५/ २१५+६७५ to २१६+०००/ २१८+१५० to २१८+५२०/ २१९+१२५ to २१९+३८०/ २२२+७७५ to २२२+८४५/ २२३+१२५ to २२३+३२५/ १९६+४२० to १९६+८२६ दाहिने ओर चैनेज १९९+१८० to २०४+१००/ २०४+७३० to २०७+२८५/ २०८+६३० to २११+७७५/ २११+९३५ to २१२+००५/ २१२+३१२ to २१२+४७८/ २१४+१३० to २१४+१६१/ २१५+६३५/ २१८+०७५/ २१९+०६३ to २२३+३७६ / १९६+४२० to १९६+२४३/ १९६+२४३ to १९६+९३२/ १९९+१८३ to १९९+५५०/ १९९+५५० to २००+६५०/ २००+६५० to २०१+३७०/ २०१+३७० to २०२+३५० पर पाईप लाईन बिछाने के अनुमति के संबंध में / Four laning of Berhampore-Farakka section of NH-34 from Km 191.416 to Km 294.684 in the State of West Bengal on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis under NHDP Phase-III: Permission for laying proposed (90 mm to 225 mm dia) along side of the utility corridor of NH-12 near on both side of road near Amirabad -Baidyabati -Chanak -Bichuti -Jarulia -Gopjan -Andharmanik -Devidaspur-Mehdipur-Bilbari from Ch LHS 202+350 to 204+530/ 210+775 to 212+080/ 212+775 to 212+881/ 213+960 to 214+625/ 215+675 to 216+000/ 218+150 to 218+520/ 219+125 to 219+380/ 222+775 to 222+845/ 223+125 to 223+325/ 196+420 to 196+826 RHS 199+180 to 204+100/ 204+730 to 207+285/ 208+630 to 211+775/ 211+935 to 212+005/ 212+312 to 212+478/ 214+130 to 214+161/ 215+635/ 218+075/ 219+063 to 223+376 / 196+420 to 196+243/ 196+243 to 196+932/ 199+183 to 199+550/ 199+550 to 200+650/ 200+650 to 201+370/ 201+370 to 202+350, Murshidabad district West Bengal- reg

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मालदा का पत्र संख्या ६२०१६/१/२०२४-२५/०५-५५(५५५)/२०/१४२६ दिनांक २७.०३.२०२५ के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिए जलापूर्ति विभाग ने उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। / Project Director, PIU-Malda, NHAI vide letter no. 62016/1/2024-25/AP-PHE(MLD)/20/1426 dated 27.03.2025 submitted the subject mentioned proposal of PHE Dte for granting license for use of National Highway land.

२. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्लू/एनएच/३३०४४/२९/२०१५/एस एंड आर (आर) दिनांक २२-११-२०१६ के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर ३० दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा। / As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

8
Cont.....2

2-

3. उपरोक्त विषयांकित सार्वजनिक नोटिस के आलोक के प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी।/ In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है/ The Comments may be submitted at the following address:-

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी (विंग सी, 8वीं मंजिल), सीबीडी/1, जेएल-23, एक्शन एरिया-II, न्यू टाउन, कोलकाता-700156	Chief General Manager (Tech) Regional Office, National Highways Authority of India, Synthesis Business Park, Office Unit - 8C (Wing C, 8 th Floor), CBD/1, JL - 23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700156
---	--

यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) और आरओ-कोलकाता, एनएचएआई के अनुमोदन से है/ This issue with the approval of CGM(Tech) - RO-Kolkata, NHAI.


(आशीष सयोरान)

उप. प्रबंधक (तकनीकी)

प्रतिलिपि:

- वेब प्रशासन, एनएचएआई-मुख्यालय-एनएचएआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित/ Web Admn, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।/ Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
- परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचएआई-मालदा को सूचनार्थ प्रेषित।/ Project Director, PIU-NHAI, Malda - for information.
- अधिशापी अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बेरहामपुर-I, 4, सी. आर. दास रोड (द्वितीय तल), बरहामपुर पिन - 742101 / The Executive Engineer, P. H. Engineering Dte, Berhampore Division-I, 4, C. R. Das Road (2nd Floor), Berhampore Pin - 742101- for information.